फर्द अहकाम

रंगलाल बनाम गोपाल वगै0

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जयपुर

केस संख्या : 2/2023 अपील प्रार्थना पत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.06.2023	आज अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार दिनांक 25.09.1977 बाबत् मुताबिक आदेश तहसीलदार दूदू स्थान मौजमाबाद नामान्तरकरण संख्या 902 जिसमें आपसी सहमति से पक्षकारान के मध्य बंटवारानामा के आदेश पारित किये गये के विरूद्ध पेश की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता को एकतरफा सुना गया, तथा पत्रावली में संलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन व अपरिमित क्षति अपीलार्थी के हक में होना पाया जाता है। अतः रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी 04.07.2023 तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस हेतु तहसीलदार दूदू को मूल रिकार्ड पेश करने बाबत तहरीर जारी हो। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी होकर पत्रावली दर्ज पंजिका होकर न्यायालय में दिनांक 04.07.2023 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू	फाईल आई 89 16.6.23 नोटिस जारी 97-116 16.6.23
	4/7/2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ने अपील विड्रा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलार्थी ने विड्रा किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी का विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (जयपुर)	नि. रंगलाल दि. 04/7/2023